



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2018

(आयकर)

**का.आ. 93(अ).**—जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय एवं प्रोटोकॉल, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे, उसके संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर ब्राजीलिया में 15 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, जैसाकि इस अधिसूचना के संलग्न अनुबंध में दिया गया है और जिसे इसके बाद संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है;

और जबकि, उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल 6 अगस्त, 2017 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने की अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के बाद का तीसवां दिन है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उपर्युक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 6 अगस्त, 2017 से लागू होंगे।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और  
वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए  
भारत गणराज्य की सरकार

और

ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार

के

बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल  
जिस पर दिनांक 26 अप्रैल, 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार करने और वित्तीय अपवंचन रोकने के लिए अभिसमय, जिस पर नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे (इसके बाद कथित अभिसमय कहा गया है), को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं :

#### अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

#### “अनुच्छेद 26

#### सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि ब्राजील के मामले में केवल संघीय करों पर लागू होता है।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य ऐसे प्रयोग को लिखित रूप से प्राधिकृत करे।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

- ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।
4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

### अनुच्छेद - II

प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा। यह प्रोटोकॉल, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन बाद लागू होगा तथा यह उस दिन से प्रभावी होगा।

### अनुच्छेद - III

यह प्रोटोकॉल, जो इस अभिसमय का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा, जब तक कि यह अभिसमय लागू रहेगा और तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह अभिसमय प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्राजीलिया में वर्ष 2013 के अक्टूबर माह के 15 तारीख को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी तीन पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

ब्राजील परिसंचयी गणराज्य  
की सरकार की ओर से

अशोक तोमर  
ब्राजील में भारत के राजदूत

कार्लोस बरेटो  
सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल रिवेन्यू ऑफ ब्राजील

[फा. सं. 500/101/2016 एफटी एंड टीआर-V]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2018

**(INCOME TAX)**

**S.O. 93(E).**—Whereas, the Protocol, amending the Convention and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at New Delhi on the 26<sup>th</sup> April, 1988, was signed at Brasilia on the 15<sup>th</sup> day of October, 2013, as set out in the Annexure appended to this notification and hereinafter referred to as the said amending Protocol;

And whereas the said amending Protocol entered into force on the 6<sup>th</sup> day of August, 2017, being thirty days after the date of receipt of later of the notifications of the completion of the procedures required by laws of the Contracting States for bringing into force of the said amending Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income –tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said amending protocol shall have effect in the Union of India with effect from the 6<sup>th</sup> day of August, 2017.

**ANNEXURE****PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL****FOR****THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF****FISCAL EVASION****WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,****SIGNED AT NEW DELHI ON 26 APRIL, 1988****PREAMBLE**

The Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil;

Desiring to amend the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at New Delhi on 26 April, 1988 (hereinafter referred to as “ the Convention”);

Have agreed as follows:

**Article I**

Article 26 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

**“ARTICLE 26****EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2, but applies only to federal taxes in the case of Brazil.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in

paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State expressly authorizes such use in writing.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
  - A. to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - B. to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
  - C. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

#### **Article II**

Each Contracting State shall notify the other in writing, through the diplomatic channel, of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of receipt of the later of these notifications and its provisions shall have effect on that date.

#### **Article III**

This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Brasilia, this 15 day of October, 2013, in the Hindi, Portuguese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL**

Sd/-

Sd/-

Ashok Tomar

Carlos Barreto

Ambassador of India to Brazil

Secretary of the Federal

Revenue of Brazil

[F. No. 500/101/2016 -FT&TR-V]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.